3/12/19

अभि० अभिभाषक उपा। बहस पर दफा 10 CPC

पुरी गाडी प्रार्थी (प्रतिवादी) का कथन है कि आ. ख. नं. 239 रकबा 0.34 है० प्रतिवादीगण (प्रार्थीगण नं. 2,3) के कब्जे काश्त खातेदारी की है वादीगण ने एक अन्य वाद उनवानी गोपी बनाम मूलना न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके मुकदमा नं. 8/2016 है दोनों मुकदमों में पक्षकार, आराजीयात, अनुतोष समान है पक्षकारों के मध्य मुकदमों की बाहुलता को रोकने के लिए व पक्षकारों की आर्थिक बर्बादी को रोकने के लिए पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित की जानी न्याय संगत है अतः पत्रावली का हस्तगत वाद को पूर्ववर्ती वाद सं. 8/2016 गोपी बनाम मूलना के साथ कन्सोलीडेट फरमाया जावे।

अप्रार्थी (वादीगण) ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र प्रकरण को देरी करने की नियत से पेश किया है वाद सं. 8/16 व 4/19 के विवादमूल व अनुतोष तथा टाईटल अलग है मौजूदा वाकयात व परिस्थितियों में वाद सं. 4/19 को कानूनन रद्द नहीं किया जा सकता है अगर समझौता किया जाता है तो वाद सं. 8/16 को वाद सं. 4/19 के किया जाने अन्यथा दोनों दावों को अलग 2 साथ - साथ चलाया जावे।

बहस पुरी गाडी जो मुख्य रूप से प्रा०पत्र व जवाब के अनुसार रही अभि० वादी (अप्रार्थी) ने RRT 2011(2) Page 1398 का हवाला दिया।

हमने दोनों दावों का अवलोकन किया मुख्य रूप से दोनों प्रकरणों में पक्षकार (रूबरू) तथा आराजी समान है दोनों दावों का मुख्य अनुतोष घोषणा खातेदारी (इस्तकरार हक) का है जो समान है पक्षकारों के मध्य वादों की बहुलता पर नियन्त्रण तथा दोनों प्रकरण जो एक ही आराजी, समान

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	पक्षकार, समान अनुतोष के, तथा समान विषयवस्तु पर आधारित है जिनमें अलग 2 निर्णय नहीं होने पावें इसलिए प्रा०पत्र तहत दफा 10 CPC स्वीकार कर पश्चात वर्ती वाद हाजा नं. 5/19 को पूर्व वर्ती वाद सं. 8/2016 के साथ समेकित किया जाना उचित प्रतीत है। लिहाजा प्रा०पत्र प्रार्थी दफा 10 CPC स्वीकार हस्तगत वाद सं. 5/19 को पूर्व वर्ती वाद सं. 8/2016 उनवानी गोपी बनाम मूलमा के साथ समेकित (consolidate) किया जाता है।